अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली निदेशक कार्यालय

फा.सं. 40-30/2022-स्था.I

08.03.2024

कार्यालय आदेश

विषय: एम्स, नई दिल्ली का प्रतिनिधित्व करने हेतु अधिवक्ताओं की नियुक्ति में पारदर्शिता संबंधी।_

एम्स, नई दिल्ली ने एक खुली चयन प्रक्रिया के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) तथा अन्य न्यायिक मंचों (जैसे श्रम न्यायालय, उपभोक्ता न्यायालय एवं जिला न्यायालय आदि) के लिए स्थायी कानूनी परामर्शदाता के रूप में विभिन्न अधिवक्ताओं को सूचीबद्ध किया है।

सुशासन संबंधी प्रक्रियाओं के अनुरूप, यह निर्णय लिया गया है कि सूचीबद्ध अधिवक्ताओं में से, विशिष्ट कानूनी मामलों हेतु निर्धारण विधि प्रकोष्ठ द्वारा पूरी तरह से पारदर्शी, निष्पक्ष एवं तर्कसंगत तरीके से किया जाएगा।

तदनुसार, तत्काल अनुपालन हेतु निम्नलिखित निर्देश जारी किए जाते हैं:

- क) सूचीबद्ध अधिवक्ताओं को उनकी विशेषज्ञता के क्षेत्र अनुसार वर्गीकृत किया जाएगा, यिद कोई है (जैसे सेवा मामले, सिविल मामले, आपराधिक मामले, आदि) तथा उक्त वर्गीकरण के आधार को भी पैनल को अंतिम रूप देते समय फाइल में दर्ज किया जाएगा। वर्तमान सूचीबद्ध अधिवक्ताओं को, वर्तमान तिथि तक उन्हें सौंपे गए कानूनी मामलों का विवरण तथा उनकी विशेषज्ञता का आधार, यदि कोई हो, अपर निदेशक (प्रशासन) के कार्यालय में फाइल प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा ताकि 31 मार्च, 2024 से पहले विशेषज्ञतावार सूचियों को अंतिम रूप दिया जा सके।
- ख) कानूनी मामलों में, जिसमें किसी भी सूचीबद्ध अधिवक्ता को नियमित रूप से नियुक्त किया जा सकता है, विधि प्रकोष्ठ को सूचीबद्ध स्थायी कानूनी सलाहकारों के नामों को वर्णमाला क्रम में फाइल में पुन: प्रस्तुत करना होगा तथा अधिवक्ताओं को मामलों के कार्य का प्रस्ताव क्रमिक रूप से देना होगा।
- ग) किसी विशिष्ट क्षेत्र में विशेषज्ञता वाले वकील की नियुक्ति की आवश्यकता वाले कानूनी मामलों में, विधि प्रकोष्ठ इस विशिष्ट क्षेत्र (उपर्युक्त 'क' में निर्णीत अनुसार) में विशेषज्ञता वाले सूचीबद्ध स्थायी कानूनी सलाहकारों के नाम फ़ाइल में वर्णमाला क्रम में पुन: प्रस्तुत करेगा तथा उक्त अधिवक्ताओं को क्रमबद्ध तरीके से मामलों को सौंपने का प्रस्ताव रखेगा।

अधिवक्ताओं को नियुक्त करने की यह प्रक्रिया यह सुनिश्चित करेगी कि सूची में शामिल सभी अधिवक्ताओं को कानूनी मामले समान रूप से एवं लेखा परीक्षा योग्य तरीके से सौंपे जाएं। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में, विधि प्रकोष्ठ अपर निदेशक(प्रशासन) को सूची में शामिल अधिवक्ताओं को आवंटित मामलों का सारांश तथा आवंटित मामलों के लिए उनके

कार्य-निष्पादन की समीक्षा को प्रस्तुत करेगा। उक्त जानकारी की समीक्षा करने के पश्चात अपर निदेशक (प्रशासन) संतोषजनक कार्य-निष्पादन में असफल रहने वाले अधिवक्ताओं को पैनल से हटाने का निर्णय ले सकते हैं।

प्रो. एम श्रीनिवास

निदेशक

वितरणः(इस अनुरोध के साथ कि इसे अपने अधीनस्थ सभी अधिकारीगण को भी परिचालित किया जाए।)

- संकायाध्यक्षगण (शैक्षिक, अनुसंधान, परीक्षा)
- अपर निदेशक (प्रशासन)
- चिकित्सा अधीक्षक (एम्स)
- सभी केंद्र प्रमुखगण/अध्यक्ष, एन.सी.आई., झज्जर
- सभी विभागाध्यक्षगण
- वरिष्ठ वित्त सलाहकार
- उप-सचिव
- प्रभारी-आचार्य, कम्प्यूटर सुविधा
- वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी

(नोट:- किसी भी विवाद की स्थिति में इस कार्यालय ज्ञापन का अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।)

ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, NEW DELHI OFFICE OF DIRECTOR

F.No. 40-30/2022-Estt.I

08.03.2024

OFFICE ORDER

Sub: Transparency in assignment of advocates for representing AIIMS New Delhi

AllMS, New Delhi has empanelled multiple advocates as Standing Legal Counsel for Supreme Court, High Court, Central Administrative Tribunal (CAT) and other Judicial Fora (such as Labour Courts, Consumer Courts and District Courts, etc.) through an open selection process.

In line with good governance practices, it has been decided that from amongst the empanelled advocates, the assignment for specific legal matters shall be done in a fully transparent, fair & reasoned manner by the Legal Cell.

Accordingly, the following instructions are issued for immediate compliance:

- a) The empanelled advocates shall be categorised as per their area of specialisation, if any (viz. service matters, civil matters, criminal matters, etc.) and the basis of the said categorization shall also be recorded on file while finalising the empanelment. For the existing empanelled advocates, details of legal matters allotted to them till date and the basis of their specialisation, if any, shall be submitted on file to the office of Addl. Director (Admin) to finalise the specialization wise lists before 31st March 2024.
- b) In legal matters, wherein any empanelled advocate can be assigned in routine, the legal cell shall reproduce on file the names of the empanelled standing legal counsels in an alphabetic manner and shall propose the assignment of the cases to advocates in a sequential manner.
- c) In legal matters, requiring assignment of an advocate specializing in a specific area, the legal cell shall reproduce on file the names of the empanelled standing legal counsels specializing in that specific area (as decided at 'a' above) in an

Am 8/3/2024

alphabetic manner and shall propose the assignment of the cases to the said advocates in a sequential manner.

This process of assignment of advocates shall ensure that all empanelled advocates are assigned legal matters equitably & in an auditable manner. At the end of every financial year, the legal cell shall submit to Addl. Director (Admin), a summary of the cases allocated to the empanelled advocates and their performance review for the allocated cases. Addl. Director (Admin) may after reviewing the said information, decide to de-empanel advocates whose performance is not found to be satisfactory.

Prof. M Srinivas
Director

Distribution (with a request to also circulate it to all officials under their control)

- 1. Dean/s (Academic, Research, Examination)
- 2. Addl. Director (Admin)
- 3. Medical Superintendent (AIIMS)
- 4. Chiefs' of all Centres / Head, NCI Jhajjar
- 5. Heads' of all Departments
- 6. Sr. Financial Advisor
- 7. Prof. I/c Computer Facility
- 8. Chief Administrative Officer